



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट



E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (0)

पत्रांक 1954/28

दिनांक 02/10/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन प्रभाग, बागेश्वर

विषय:- जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के एस0सी0एस0पी0 में चयनित ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से एस0सी0एस0पी0 में ही चयनित ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गाँव तक मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/15675 / 2015)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के EDS Dated 14-09-2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

| बिन्दु सं० | लगायी गयी आपत्तियाँ                                                                           | आख्या                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Geo-Refernced digital map of proposed road uploaded in part-I are not authenticated by DFO.   | Geo-Refer nced digital map authenticated by DFO online uploaded in part-I                                                                                                                                                                                                  |
| 2          | NPV calculation has not been uploaded at para 13 as additional information in From A, part-I. | NPV calculation Online uploaded additional information in From A, part-I.                                                                                                                                                                                                  |
| 3          | Original hard copy of part 3, 4 and 5 still not submitted.                                    | Original hard copy of part 3, 4 and 5 uploaded additional information in From A, part-I & V in original Document Letter No 1953 /2E Dated 19.02.18 by Nodal office Dehradun.                                                                                               |
| 4          | State Govt. is also requested to submit the original hard copy of the recived document.       | अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के पत्रांक सं० 3833 / FP/UK/ROAD / 15675 / 2015 दिनांक 14 जून, 2016 द्वारा प्रस्ताव की 1 प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु अपर सचिव वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है। (जिसकी प्रति संलग्न है) |
| 5          | CA scheme is also not uploaded at para 13 as Additional information form A. para-II.          | Related to DFO .                                                                                                                                                                                                                                                           |

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
कपकोट

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 3833/1जी-FP/UK/ROAD/15675/2015 देहरादून: दिनांक: 14-जून, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,  
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बनलेख से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री रामदत्त जोशी के घर मोटर मार्ग निर्माण हेतु-1.687 है0 वन भूमि का गैर बनिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक-3324 दिनांक 10-06-2016 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्पा)  
प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी-FP/UK/ROAD/15675/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, नैनीताल।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट, बागेश्वर।

(एस0टी0एस0 लेप्पा)  
प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail : eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. - 05963.253385 (O)

पत्रांक 1953/250

दिनांक 02/10/2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
नोडल अधिकारी इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के एस0सी0एस0पी0 में चयनित ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से एस0सी0एस0पी0 में ही चयनित ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के संख्या (FP/UK/ROAD/15675/2015)

सन्दर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के EDS Dated 14-09-2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित EDS Dated 14-09-2015 के क्रम में Part-I, Part-II, III, IV & Part-V की मूल प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि अपने स्तर से भारत सरकार को सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न -उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
कपकोट

पत्रांक /

दिनांक /10/2018

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
कपकोट

**प्रपत्र-2**

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

**भाग-1**

| क्र.सं. | परियोजना विवरण :-                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।                                                                                                                                                                | जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनीली के एस.सी.एस.पी. में चयनित ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से एस.सी.एस.पी. में ही चयनित ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव को बनलेख मोटर मार्ग में मिलान के कार्य का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। |
|         | ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।                                                                                                                                                 | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | ग) परियोजना की लागत।                                                                                                                                                                                                                   | रु0 92.00 लाख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।                                                                                                                                                                                     | सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मो0मार्ग का निर्माण                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)                                                                                                                                                                                        | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।                                                                                                                                                                                               | कृषि, दुग्ध एवं पर्यटन के आवागमन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2       | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:                                                                                                                                                                                                | प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि-0.00 हैक्टेयर, वन पंचायत- 1.687 हैक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.00 हैक्टेयर, (कुल वनभूमि-1.687 है0)वनभूमि                                                                                                                                                                                                   |
| 3       | परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हो,<br>क) परिवारों की संख्या                                                                                                                                                         | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या                                                                                                                                                                                          | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)                                                                                                                                                                                            | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4       | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)                                                                                                                                                       | अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5       | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरकवनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता(वचनबद्धता संलग्न की जाये) | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6       | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।                                                                                                                                                                | अनुसूची संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

दिनांक.....

स्थान.....14/9/15

सहायक अभियंता  
निर्माण खंड, लो.नि.वि.  
कपकोट

अधीनस्थ अभियंता  
निर्माण खंड, लो.नि.वि.  
कपकोट

प्रपत्र-2

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

| क.सं. | परियोजना विवरण :-                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।                                                                                                                                                                | जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के एस.सी.एस.पी. में चयनित ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से एस.सी.एस.पी. में ही चयनित ग्राम नउडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव को बनलेख मोटर मार्ग में मिलान के कार्य का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। |
|       | ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।                                                                                                                                                 | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | ग) परियोजना की लागत।                                                                                                                                                                                                                   | रु0 92.00 लाख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।                                                                                                                                                                                     | सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मो0मार्ग का निर्माण                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)                                                                                                                                                                                        | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।                                                                                                                                                                                               | कृषि, दुग्ध एवं पर्यटन के आवागमन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2     | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:                                                                                                                                                                                                | प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि-0.00 हैक्टेयर, वन पंचायत- 1.687 हैक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.00 हैक्टेयर, (कुल वनभूमि-1.687 है0)वनभूमि                                                                                                                                                                                                   |
| 3     | परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हो।                                                                                                                                                                                  | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | क) परिवारों की संख्या                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या                                                                                                                                                                                          | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)                                                                                                                                                                                            | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4     | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)                                                                                                                                                       | अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5     | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरकवनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता(वचनबद्धता संलग्न की जाये) | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6     | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।                                                                                                                                                                | अनुसूची संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

दिनांक.....

स्थान.....15/9/15

सहायक अभियंता  
निर्माण खंड, लो.नि.वि.  
कपकोट

अभिमत अभियंता  
निर्माण खंड, लो.नि.वि.  
कपकोट

भाग-III

ग्वातोली में करिमपुर से मउडियार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव बनलेख  
मोटर मार्ग मिलान तक मोटर मार्ग – 02.00 किमी०

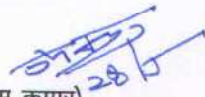
(प्रस्ताव संख्या 16675/2015)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

|                                                                                                                                                                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | नहीं।                                        |
| 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।                                                                                                        | हाँ, सहमत।                                   |
| 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।                                                                                        | जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। |

दिनांक:- 28.05.2016

स्थान:- अल्मोड़ा।

  
(प्रेम कुमार)  
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, पुस्ताराखण्ड, अल्मोड़ा

#### भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बनलेख से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री रामदत्त जोशी के घर मोटर मार्ग निर्माण हेतु—1.687 है० वन भूमि का गैर वनिकी कार्यों हेतु, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर वन प्रभाग में 1.687 है० पंचायत वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5 है० से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण  
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहर:

तिथि : 14 / 06 / 2016

स्थान : देहरादून

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड  
देहरादून

FILE NO. 1(202)/2016

PROPOSAL NO-FP/UK/ROAD/15675/2015

PROPOSAL NAME – GWATOLI-KAREEMPUR TO FREEDOM FIGHTER

SHRI RAM DATT JOSHI MOTOR ROAD

AREA-1.687 Ha

**PART- V**

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

**Recommendation of the State Government:**

(Adverse comments made by any officer or authority in Part A or Part C or Part D above should be specifically commented upon)

**RECOMMENDED**

17/6/16

Signature-

Name and designation

(Under Secretary)  
Additional Secretary  
Forest & Environment  
Maharashtra Secretariat

Official seal

**PART-II**

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0165/2016

**1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand**

- (i) State / Union Territory : Uttarakhand  
 (ii) District : Bageshwar  
 (iii) Forest Division : Bageshwar  
 (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 1.687  
 (v) Category of the Proposal: Road

**2. Legal status of forest land proposed for diversion**

| S. No. | Division  | Forest Land(ha.) | Legal Status   |
|--------|-----------|------------------|----------------|
| 1      | Bageshwar | 1.687            | Village Forest |

Division 1. : Bageshwar

**3. District wise area to be diverted in the division**

| S. No. | District  | Area(ha.) |
|--------|-----------|-----------|
| 1      | Bageshwar | 1.687     |

**4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion****(i) Density of vegetation**

| S. No. | Area(in ha.) | Density | Eco-Class |
|--------|--------------|---------|-----------|
| 1      | 1.687        | 0.2     | ECO B     |

**(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL**

| S. No. | Scientific Name | Local Name | (0-30)cm. | (31-60)cm. | (61-90)cm. | (91-120)cm. | (121-150)cm. | (>150)cm. |
|--------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
|        |                 |            |           |            |            |             |              |           |

|   |                  |      |   |    |    |    |    |   |
|---|------------------|------|---|----|----|----|----|---|
| 1 | Pinus roxburghii | chir | 0 | 22 | 44 | 40 | 35 | 9 |
|---|------------------|------|---|----|----|----|----|---|

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : working plan does not exist for village forest.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : area is not prone to soil erosion

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 0.500

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view

- (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : wildlife presence is rare in the proposed land for diversion.
- (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
- (iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
- (iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any, committed

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

## 13. Details of compensatory afforestation scheme

(i). Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

| Patch Wise Details |               |           |              |        |                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------|---------------|-----------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S.no               | District Name | Village   | Area(in ha.) | Khasra | KML file                                                                           | Present Owner file                                                                  |
| 1                  | Bageshwar     | Badiyakot | 3.375        | 2      |  |  |

(ii). Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station: (iii). Upload a copy of survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A: 

## Additional information Details

| S. No. | Documents                                                                         | Remarks |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1      |  |         |

## 14. District Profile

| S.no | District Name | Geographical area of the district (in ha.) | Forest area of the district (in ha.) | Total forest area diverted since 1980 (in ha.) | No. of Approved Cases | Forest Land including penal C.A. (in ha.) | Progress of compensatory afforestation as on (date) | A) Forest land (in ha.) | B) Non-forest land (in ha.) |
|------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1    | Bageshwar     | 231000                                     | 107400                               | 726.60415                                      | 370                   | 1453.2083                                 | 26/05/2016                                          | 1356.00                 | 0.00                        |

## 15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land

| Division Name | Circle       | Site inspected By | Whether site inspected | No. of times site visited | Site inspection report                                                            | Date of visit |
|---------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | North Kumaun | CF                | No                     |                           | No Data                                                                           |               |
| Bageshwar     | North Kumaun | DFO               | Yes                    | One                       |  | 22/05/2017    |

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III &amp; Part IV)).

## 16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

| Division | Circle | Recommendation By | Recommendation | Reason | Letter | Whether CF agreed |
|----------|--------|-------------------|----------------|--------|--------|-------------------|
|----------|--------|-------------------|----------------|--------|--------|-------------------|

|           |              |               |             |                                                                                                                     |                                                                                     |     |
|-----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dageshwar | North Kumaun | DFO           | Recommended |                                                                                                                     |  |     |
|           | North Kumaun | CF            | Recommended | The Proposal is in Public Interest. As per proposal population 230 of villages will be benefited hence recommended. |  | Yes |
|           |              | Noda. Officer | Recommended | as per file attached                                                                                                |  |     |

**Specific recommendation of the State Government(Part V)**

17. Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason ( Part V)

| State       | Recommendation By | Recommendation | Recommendation Date | Remarks | Signing Authority   | Notification | Recommendation Letter                                                               |
|-------------|-------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Uttarakhand | State Secretary   | Recommended    | 20/06/2016          |         | State Govt. Officer | No Data      |  |

**Payment made by User Agency.**

18. Payment made by User Agency

| Proposal No. | Application No. | Total Amount (Rs.) | Transaction Date | Transaction ID | Bank Name | Mode of Payment | Uploaded Demand Letter |
|--------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|-----------------|------------------------|
| No Data      |                 |                    |                  |                |           |                 |                        |

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का  
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेशा संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वनभूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

1. ईको- क्लास श्रेणी..... 5 (V)
2. हरियाली का घनत्व..... 0.2
3. हरियाली की दर प्रति है0..... 8.45 / गारवेट0
4. आवेदित वनभूमि का क्षेत्रफल..... 1.687 हे०
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि..... 14.25 लाख

48  
प्रभातीय वनाधिकारी,  
प्रभातीय वनाधिकारी,  
वन प्रभाग, कागेश्वर

**क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना**

परियोजना का नाम— जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के एस.सी.एस.पी. में चयनित ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से एस.सी.एस.पी. में ही चयनित ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव को बनलेख मोटर मार्ग में मिलान के कार्य का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वृक्षारोपण स्थल का वन नाम—

क्षेत्रफल 1.887x2—3.374Hac.

प्रति हैक्टेयर रोपित पौधों की संख्या—2000 पौध प्रति हैक्टेयर

| क्र०सं० | कार्य का नाम                                                                                    | मात्रा | ई०  | इकाई दर  | प्रति | धनराशि          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|-------|-----------------|
|         | <b>प्रथम चरण—</b>                                                                               |        |     |          |       |                 |
| 1       | सर्वे एवं सीमांकन                                                                               | 0.500  | रु० | 500.00   | रु०   | 250.00          |
| 2       | क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)                                                                | 0.500  | रु० | 616.00   | रु०   | 308.00          |
| 3       | जल एवं भूमि संरक्षण कार्य।                                                                      | 1.000  | रु० | 9000.00  | रु०   | 9000.00         |
| 4       | अग्रिम दिवाल बंदी फेंसिंग 84 घ०मी०                                                              | 1.000  | रु० | 19000.00 | रु०   | 19000.00        |
| 5       | गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45)                                                                    | 1.000  | रु० | 12200.00 | रु०   | 12200.00        |
| 6       | निरीक्षण बटिया निर्माण                                                                          | 1.000  | रु० | 1100.00  | रु०   | 1100.00         |
| 7       | पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)                                                                      | 1.000  | रु० | 12000.00 | रु०   | 12000.00        |
| 8       | अन्य व्यय—औजारों की धार तेज कराई, यंत्र                                                         | 1.000  | रु० | 550.00   | रु०   | 550.00          |
|         | <b>योग—</b>                                                                                     |        |     |          |       | <b>54408.00</b> |
|         | <b>द्वितीय चरण—</b>                                                                             |        |     |          |       |                 |
| 1       | गड्ढा भरान कार्य औसत (0.30x0.30x0.45)                                                           | 1      | रु० | 2000.00  | रु०   | 2000.00         |
| 2       | पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)                                                                    | 1      | रु० | 2000.00  | रु०   | 2000.00         |
| 3       | पौध डुलान कार्य                                                                                 | 1      | रु० | 10000.00 | रु०   | 10000.00        |
| 4       | पौधरोपण व थावला बन्दी                                                                           | 1      | रु० | 4000.00  | रु०   | 4000.00         |
| 5       | निराई—गुड़ाई व मलिंग (दो बार)                                                                   | 1      | रु० | 5000.00  | रु०   | 5000.00         |
| 6       | खाद व दवा खरीद मय मिश्रण                                                                        | 1      | रु० | 800.00   | रु०   | 800.00          |
| 7       | रोपण वर्ष में देखरेख एवं अनु० कार्य 8 माह                                                       | 1      | रु० | 10000.00 | रु०   | 10000.00        |
| 8       | वृक्षारोपण क्षेत्र में सूखे घास—फूस एवं ज्वलनशील पदार्थ                                         | 1      | रु० | 500.00   | रु०   | 500.00          |
| 9       | सुरक्षा दीवाल को बाहर 4मी० पट्टी साफ करना                                                       | 1      | रु० | 500.00   | रु०   | 500.00          |
| 10      | वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देना |        |     |          |       |                 |
|         | 1. प्रशिक्षण                                                                                    | 1      | रु० | 500.00   | रु०   | 500.00          |
|         | 2. प्रोत्साहन                                                                                   | 1      | रु० | 500.00   | रु०   | 500.00          |
| 11      | वृक्षारोपण क्षेत्र के निकट ग्रामवासियों को ईंधन आपूर्ति करना                                    | 1      | रु० | 6000.00  | रु०   | 6000.00         |
| 12      | अन्य व्यय साईन बोर्ड, फोटोग्राफी आदि                                                            | 1      | रु० | 500.00   | रु०   | 500.00          |
|         | <b>योग—द्वितीय चरण</b>                                                                          |        |     |          |       | <b>42300.00</b> |

|  |                             |  |  |  |          |
|--|-----------------------------|--|--|--|----------|
|  | योग—प्रथम चरण व द्वितीय चरण |  |  |  | 96708.00 |
|--|-----------------------------|--|--|--|----------|

तृतीय चरण अनुरक्षण कार्य दस वर्षों का

|   |                                                                                                 |   |     |          |     |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------|-----|----------|
| 1 | रोपण कार्य के बाद प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह                                    | 1 | है० | 12000.00 | है० | 12000.00 |
| 2 | वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास—फूस पदार्थ हटाना                                        | 1 | है० | 300.00   | है० | 300.00   |
| 3 | सुरक्षा दीवाल के बार 4 मी० पट्टी साफ करना।                                                      | 1 | है० | 300.00   | है० | 300.00   |
| 4 | वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देना |   |     |          |     | 0.00     |
|   | 1. प्रशिक्षण                                                                                    | 1 | है० | 400.00   | है० | 400.00   |
|   | 2. प्रोत्साहन                                                                                   | 1 | है० | 300.00   | है० | 300.00   |
|   | योग—तृतीय                                                                                       |   |     |          |     | 13300.00 |

उक्तानुसार 10 वर्षों का रखरखाव (13300.00X10=133000.00)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के आगणन का सारांश

| क्र०सं० | वर्ष का नाम                                                            | प्रति है० व्यय धनराशि (रु० में) |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | प्रथम वर्ष                                                             | 54966.00                        |
| 2       | द्वितीय वर्ष                                                           | 42300.00                        |
| 3       | तृतीय वर्ष                                                             | 13300.00                        |
| 4       | चतुर्थ वर्ष                                                            | 13300.00                        |
| 5       | पंचम वर्ष                                                              | 13301.00                        |
| 6       | षष्ठम वर्ष                                                             | 13302.00                        |
| 7       | सप्तम वर्ष                                                             | 13303.00                        |
| 8       | अष्टम वर्ष                                                             | 13304.00                        |
| 9       | नवम वर्ष                                                               | 13305.00                        |
| 10      | दशम वर्ष                                                               | 13306.00                        |
| 11      | ग्यारहवा वर्ष                                                          | 13307.00                        |
| 12      | बारहवा वर्ष                                                            | 13308.00                        |
|         | योग:—                                                                  | 230302.00                       |
| 1       | प्रति है० व्यय धनराशि— 230302.00 प्रति है०                             |                                 |
| 2       | परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र— $1.687 \times 2 = 3.374$ है० |                                 |
| 3       | दुगुने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि                       | $3.374 \times 230302 =$         |
|         |                                                                        | 777038.95                       |

वन विभाग  
अध्यापक (अनुरक्षण)

वन विभाग  
अध्यापक (अनुरक्षण)

अध्यापक (अनुरक्षण)  
अध्यापक (अनुरक्षण)